न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनियॉ आर.ए.एस

अपील सं0 2010/00136 (135/2010)

1. महावीर
2. औमप्रकाश (फौत)
   - 2/1 गुड्डी पत्नी औमप्रकाश
   - 2/2 राकेश कुमार पुत्र औमप्रकाश
   - 2/3 पूनम पुत्री औमप्रकाश

   } पुत्र व पुत्रीया नारायण जाति जाट साकिन टिब्बी, जिला हनुमानगढ।
3. विद्या
4. बलवन्त सिंह पुत्र कृपाल सिंह जाति जटसिख साकिन टिब्बी जिला हनुमानगढ

बनाम

1. रामेश्वर (फौत) पुत्र भीयांराम
   - 1/1 शांति देवी पत्नी रामेश्वर
   - 1/2 धर्मपाल पुत्र रामेश्वर
   - 1/3 सुभाष चन्द्र पुत्र रामेश्वर
   - 1/4 विमला पत्नी औमप्रकाश पुत्र रामेश्वर
   - 1/5 संदीप पुत्र औमप्रकाश
   - 1/6 मुकेश पुत्र औमप्रकाश
   - 1/7 रेखा पुत्री औमप्रकाश
   - 1/8 गुलाब पुत्र औमप्रकाश
   - 1/9 सुनीता पुत्री औमप्रकाश
   - 1/10 गायत्री पुत्री रामेश्वर
   - 1/11 निर्मला देवी पुत्री रामेश्वर
   - 1/12 रतना देवी पुत्री रामेश्वर

   } जाति बैरागी साकिन टिब्बी जिला हनुमानगढ।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

2. मनीराम
3. मोमनराम (फौत)
   3/1 कौशल्या पत्नी मोमनराम
   3/2 रामप्रताप पुत्र मोमनराम

पिसरान भीयांराम जाति वैरागी साकिन टिब्बी जिला हनुमानगढ।
—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.10.2010
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी
प्र0 संख्या 97/2002 बअनवान रामेश्वर आदि बनाम नारायण आदि

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री औम प्रकाश मोदी अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक — 20.12.2022

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 183 राज0 काश्तकारी अधिनियम इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया था कि चक 11 जीजीआर के प. नं. 198/292 किला नं. 7, 14, 17 की भूमि राज0 गैरदाखिलकारी पैंतालिस अलाटमैन्ट नियम 1970 की धारा 9 के अन्तर्गत स्थाई रूप से अलाट है। जिस पर प्रतिवादी बिला अधिकार खिलाफ कानून नाजायज तौर पर बहैसियत ट्रैसपासर काबिज है एवं नाजायज मुफाद उठा रहे हैं। इसलिए पैनेल्टी दिये जाने व कब्जा आराजी मुतनाजा दिलवाये जाने हेतु इस्तदुआ की । अधीनस्थ न्यायलाय ने निर्णय दिनांक 23.01.1985 वाद वादी स्वीकार किया। जिसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के न्यायालय में अपील पेश की गई। राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 11.08.1995 को निर्णय पारित कर प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया जिसकी द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल अमेर में पेश होने पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय को

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

यथावत रखा गया। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में पुनः सुनवाई हेतु आने पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25.10.2010 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि पत्रावली के विचारण न्यायलाय में रिमाण्ड होने के पश्चात् अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण की और से दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई थी तो विचारण न्यायालय को विधिक प्रावधानानुसार प्रत्येक तनकी पर अपनी पृथक पृथक धारणा कायम कर निर्णित की जानी चाहिऐ थी। परन्तु विचारण न्यायलाय ने ऐसा ना कर जाब्ता दिवानी को तय सद्धान्तों को दरकिनार कर धारा 183 राज0 काश्तकारी अधिनियम में जो सारभूत तथ्य है उन्हें रेस्पो0/वादीगण सिद्ध नहीं कर पाये थे जबकि दावा वादी स्वयं को सिद्ध करना होता है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध पारित किया गया है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष बैयनामा दिनांक 02.09.1959 एवं पर्चा खतौनी से प्रश्नगत भूमि का मिलाने होने से प्रश्नगत भूमि के टीनेन्ट सिद्ध थे। ऐसी स्थिति में उनके विरूद्ध वाद किसी भी सूरत में पोषणीय नहीं था क्योंकि अपीलाण्ट्स का प्रश्नगत भूमि का म्यूटेशन 30.12.1958 को स्वीकार हो चुका था। प्रश्नगत भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध ही नहीं थी एवं बैयनामा किसी न्यायालय से निरस्त नहीं हुआ है इसलिए रेस्पो0/वादीगण का वाद में किसी प्रकार के अधिकार सृजित ही नहीं हो सकते थे एवं आवंटन आदेश अवैध व शून्य स्वतः ही सिद्ध था। विचारण न्यायलाय ने इस तथ्य पर बिना गौर किये एवं रेस्पो का प्रश्नगत भूमि पर कब्जा नहीं होने से एवं अपीलाण्ट का कब्जा साधिकार होने से कानूनन वाद पोषणीय नहीं था। परन्तु अधिनस्थ न्यायलाय द्वारा बिना विस्तृत विवेचन किये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो काबिल खारिजी के है। अपीलाण्ट का विवादित भूमि पर अर्सा कदीम से कब्जा काश्त है तथा प्रतिववादीगण ही विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार हैं। वादीगण का विवादित भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है। धारा 183 आरटीएक्ट का वाद पेश करने के लिए रिकार्डेड टिनेन्ट होना

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

आवश्यक है जो वादी नही है ना ही विवादित भूमि वादी को कभी आवंटन ही हुई है। यदि आवंटन की गई थी तो मूल आवंटन आदेश की प्रति पेश करे जो कि वादी ने पेश नहीं की है। प्रतिवादी ने पर्चा खतौनी व गिरदावरी की नकल पेश की है जिसके अनुसार प्रतिवादी ही विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है। वादी/अपीलाण्ट विवादित भूमि में किसी प्रकार हक व हिस्सा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट का वाद खारिज किया है जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट प्रश्नगत भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रश्नगत भूमि उसे आवंटित हुई है। आवंटन के खिलाफ कोई अपील पेश नहीं हुई है। रेस्पोडेण्ट को भूमि अलॉट होने के बाद में अपीलाण्ट ने जबरदस्ती भूमि पर कब्जा कर लिया है। वह बतौर ट्रैसपासर काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय ने दावा विधि अनुसार सही डिक्री किया है। अपीलाण्ट का विवादित भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रकरण रिमाण्ड होने के बाद अपीलाण्ट ने कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 11.08.1995 एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 06.12.2000 की पालना में प्रतिवादी ने किसी प्रकार का कोई तथ्य फिटिंग के संबंध में पेश नहीं किया है मात्र सिंचाई गिरदावरीयां पेश की है जिसके अनुसार विवादित भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त है जिसे अपीलाण्ट ने भी स्वीकार किया है। अपीलाण्ट ने स्वीकार किया है इसलिए उसके विरूद्ध धारा 183 आरटीएक्ट में यह वाद पेश किया है। राजस्व अपील प्रधिकारी हनुमानगढ एवं माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के आदेशों की पालना में किसी प्रकार का साक्ष्य पेश नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय में मात्र शपथपत्र पेश किया है जो पर्याप्त नहीं है। अपीलाण्ट ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है, जिससे

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

यह साबित हो कि विवादित भूमि में अपीलांट का किसी प्रकार का हक हिस्सा हो। इससे पूर्व अधीनस्थ न्यायलाय ने दिनांक 23.01.1985 के निर्णय में तनकीवार विवेचन किया जा चुका है। न्यायालयों द्वारा अवसर दिये जाने बावजूद भी अपीलाण्ट ने नये साक्ष्य पेश नहीं किये हैं। अपीलाण्ट द्वारा किसी प्रकार का कोई साक्ष्य पेश नहीं करने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वादी स्वीकार किया है। प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेण्ट को आवंटित हुई है एवं वे इस भूमि के रिकार्डेडे खातेदार काश्तकार है। आवंटन आदेश को किसी न्यायायल द्वारा निरस्त नहीं किया गया है, अपीलाण्ट ने साधिकार कब्जा के संबंध में किसी प्रकार का साक्ष्य पेश नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलाये जाने के आदेश दिये हैं वो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.10.2010 यथावत रखे जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 20.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/12/22

(करतारसिंह पूनिया)
आर.ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

डिक्री व सीगे अपील

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

बइजलास करतार सिंह पूनियॉ आर0ए0एस0

अपील सं0 2010/00136 (135/2010)

1. महावीर
2. औमप्रकाश (फौत)
   - 2/1 गुड्डी पत्नी औमप्रकाश
   - 2/2 राकेश कुमार पुत्र औमप्रकाश
   - 2/3 पूनम पुत्री औमप्रकाश
3. विद्या

पुत्र व पुत्रीया नारायण जाति जाट साकिन टिब्बी, जिला हनुमानगढ।

4. बलवन्त सिंह पुत्र कृपाल सिंह जाति जटसिख साकिन टिब्बी जिला हनुमानगढ

बनाम

1. रामेश्वर (फौत) पुत्र भीयांराम
   - 1/1 शांति देवी पत्नी रामेश्वर
   - 1/2 धर्मपाल पुत्र रामेश्वर
   - 1/3 सुभाष चन्द्र पुत्र रामेश्वर
   - 1/4 विमला पत्नी औमप्रकाश पुत्र रामेश्वर
   - 1/5 संदीप पुत्र औमप्रकाश
   - 1/6 मुकेश पुत्र औमप्रकाश
   - 1/7 रेखा पुत्री औमप्रकाश
   - 1/8 गुलाब पुत्र औमप्रकाश
   - 1/9 सुनीता पुत्री औमप्रकाश
   - 1/10 गायत्री पुत्री रामेश्वर
   - 1/11 निर्मला देवी पुत्री रामेश्वर
   - 1/12 रतना देवी पुत्री रामेश्वर

जाति बैरागी साकिन टिब्बी जिला हनुमानगढ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

2. मनीराम
3. मोमनराम (फौत)
   3/1 कौशल्या पत्नी मोमनराम
   3/2 रामप्रताप पुत्र मोमनराम

पिसरान भीयांराम जाति वैरागी साकिन टिब्बी जिला हनुमानगढ।

--रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.10.2010
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी
म0 संख्या 97/2002 बअनवान रामेश्वर आदि बनाम नारायण आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट श्री औम प्रकाश मोदी अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट की बहस समायत की जाकर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.10.2010 यथावत रखे जाते हैं।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 20.12.2022 को जारी की गई।

20/12/22

(करतार सिंह पूनियाँ) आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़